संख्याः- 5740 /77-4-21-126एन/21

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना एक्सप्रेसवे/
यूपीसीडा/गीडा/सीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर अक्टूबर, 2021

विषयः "उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति, 2021" के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/2021/ 1792/78-2-2020/254एल.सी./2019, दिनांक 28 जनवरी, 2021 एवं आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-22/2021/1274/78-2-2020-254एल.सी./2019, दिनांक 23.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा "उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति, 2021" को प्रख्यापित करते हुए उक्त नीति के कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति, 2021 में अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन, यथा भूमि उपादान जलापूर्ति, भवन निर्माण मानदण्डों में विशेष प्राविधान (जैसे सेबलीजिंग, फ्लोर एरिया रेशियो, भूति आच्छादन आदि) अन्य सहायता आदि एवं सम्बन्धित अन्य प्राविधानों को नीति के अनुरूप तत्काल लागू करने का कष्ट करें।

3. यदि नीति के कियान्वयन के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के प्लान/बायलॉज/नियमों में किसी संशोधन पर शासन के अनुमति की आवश्यकता हो तो यथोचित प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। चूँकि नीति मा0 मंत्रीपरिषद से अनुमोदित है, अतः संशोधनों पर शासन के अनुमोदन की प्रतीक्षा न करते हुए इन संशोधनों को तत्काल लागू किया जाए।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः- 5740 (1)/77-4-21तद्दिनांक

प्रतिलिपि आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को उनकी अधिसूचना संख्या-4/2021/1792/78-2-2020/254एल.सी./2019, दिनांक 28 जनवरी, 2021 एवं आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-22/2021/1274/78-2-2020-254 एल.सी./2019, दिनांक 23.09.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

श्री दिलीप/KWF
16.12.21

सं-1245/78-2-2021

उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–2
संख्याः 1273/94–स्टा0नि0–2–2021–700(33)/2021
लखनऊ, दिनांकः ०९ दिसम्बर, 2021

अपर मुख्य सचिव,
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2,
उ0प्र0 शासन।,

आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग– 2 की उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति–2021 हेतु प्रख्यापित अधिसूचना संख्या–4/2021/1792/78–2–2020/254एलसी/2019 दिनांक 28.01.2021 की छायाप्रति संलग्न करते हुए स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से संबंधित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने विषयक अपने पत्र संख्याः 947/78–2–2021–254एलसी/2019 दिनांक 21 जून, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में अवगत कराना है कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–2 द्वारा अधिसूचना संख्याः 11/2021/1152/94–स्टा0नि0–2–700(33)/2021 दिनांक 29 नवम्बर, 2021 निर्गत कर दी गयी है, जिसकी प्रति (शासनादेश में अपलोड प्रति) अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

(अशोक कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

श्री दिलीप
8.12.21

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या- 11/2021/1152/94-स्टा0नि0-2-2021-700(33)/2021

लखनऊः दिनांक 29 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021" के पैरा 7.1 में यथा उपबंधित, निम्न अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित प्रयोजनों के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथादर्शित लिखतों के सम्बन्ध में, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में दर्शित सीमा तक छूट प्रदान करती हैं-

अनुसूची

नीति का पैरा	प्रयोजन और अन्य विवरण	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति और अनुसूची 1-ख की अनुच्छेद संख्या
1	2	3	4
"उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021" का पैरा 7.1	(एक) प्राधिकरण/भूस्वामी से डाटा सेन्टर पार्क के पक्ष में भूमि का क्रय/पट्टा।	(एक) 100 प्रतिशत	अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण एवं अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा।
	(दो) डाटा सेन्टर पार्क से डाटा सेन्टर इकाई के पक्ष में भूमि का क्रय/पट्टा।	(दो) 50 प्रतिशत	

2- यह छूट, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी-

(क) जिला का जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त उद्योग, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण/पट्टा विलेख, ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निष्पादित किया जा रहा है, तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) ऐसे हस्तान्तरण विलेख/पट्टा विलेख के निबंधन के समय, महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में, स्टाम्प शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति, निबन्धनकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस सम्बन्ध में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्टॉनिक्स विभाग का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी छूट प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा विहित अवधि के भीतर प्रयोजन की पूर्ति न करने अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने की प्रास्थिति की सूचना तत्काल स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को देगा। ऐसी दशा में, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग बैंक प्रत्याभूति को भुना कर विभाग के समुचित लेखाशीर्षक में धनराशि जमा करेगा;

परन्तु यह कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किये जाने पर कि सम्बन्धित डाटा सेन्टर पार्क/डाटा सेन्टर इकाई द्वारा नीति के अधीन शर्तों का समुचित रूप से अनुपालन कर दिया गया है, उपरोक्त बैंक प्रत्याभूति को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अवमुक्त कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(वीना कुमारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 11/2021/1152/94-स्टा0नि0-2-2021-700(33)/2021 दिनांक: 29 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक- 29 नवम्बर, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no. 11/2021/1152/94-S.R.-2-2021-700(33)/2021 dated, 29 November, 2021:

ORDER
Notification

No. 11 /2021/1152/94-S.R.-2-2021-700(33)/2021
Lucknow: Dated 29 November, 2021.

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty to the extent shown in Column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instrument as shown in Column-4 of the said Schedule for the purpose as mentioned in Column-2 of the said Schedule as provided in paragraph 7.1 of he "Uttar Pradesh Data Center Policy, 2021"-

Schedule

Paragraph of the Scheme	Purpose and other detail	Extent of Remission	Nature of Instrument and Article number of Schedule 1-B
1	2	3	4
Paragraph 7.1 of the "Uttar Pradesh Data Center Policy, 2021"	i. On the purchase/ lease of land from Authority/Land Owner to Data Center Park. ii. On the purchase/ lease of land from Data Center Park to Data Center unit.	i. 100% ii. 50 %.	Conveyance under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35.

2. This remittance shall be subject to the following conditions:-

a. District Magistrate or Deputy Commissioner Industries of the District shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

conveyance/ lease deed is being executed for the purposes above-mentioned, and

b. Irrevocable Bank guarantee of the amount equal to the remission of stamp duty in favour of Inspector General of Registration, Uttar Pradesh shall be presented before the Registering Officer at the time of registration of such conveyance deed /lease deed. In this regard, it shall be the liability of the I.T. and Electronics Department that it shall inform, the status of non-fulfillment of the purpose or non-commencement of commercial production within the prescribed period, by the Data Center Park/Data Center unit receiving such remission, to the Stamp and Registration Department, immediately. In such a condition, the Stamp and Registration Department shall deposit the amount in the proper account head of the department, by encasing the bank guarantee:

Provided that upon confirmation of the fact by the I. T. and Electronics Department that the conditions under the policy have been properly complied with by the concerned Data Center Park/Data Center unit, the Bank Guarantee shall be released by the Stamp and Registration Department.

By order

Veena Kumari
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सं0 2101 /अ मु स आई0टी0-इले0/2021

से० 1857/78-2-2021

VS(UK)

उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या- 11/2021/1152/94-स्टा0नि0-2-2021-700(33)/2021
लखनऊ: दिनांक 29 नवम्बर, 2021

08/12/21
(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव
अव०-औद्यो०वि०, एन०आर०आई०
आई०टी० एवं इले० विभाग
उ०प्र० शासन

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021" के पैरा 7.1 में यथा उपबंधित, निम्न अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित प्रयोजनों के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथादर्शित लिखतों के सम्बन्ध में, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में दर्शित सीमा तक छूट प्रदान करती हैं-

126/VS/IT/UK/21
JS

09.12.21
(डॉ० उज्ज्वल कुमार)
विशेष सचिव
आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग
उ०प्र० शासन।

अनुसूची

नीति का पैरा	प्रयोजन और अन्य विवरण	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति और अनुसूची 1-ख की अनुच्छेद संख्या
1	2	3	4
"उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021" का पैरा 7.1	(एक) प्राधिकरण/भूस्वामी से डाटा सेन्टर पार्क के पक्ष में भूमि का क्रय/पट्टा। (दो) डाटा सेन्टर पार्क से डाटा सेन्टर इकाई के पक्ष में भूमि का क्रय/पट्टा।	(एक) 100 प्रतिशत (दो) 50 प्रतिशत	अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण एवं अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा।

2- यह छूट, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी-

(क) जिला का जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त उद्योग, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण/पट्टा विलेख, ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निष्पादित किया जा रहा है, तथा

अनु0सचि0-2
(लेखराज)
संयुक्त सचिव
आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स
उ० प्र० शासन

9.12.21

(ख) ऐसे हस्तान्तरण विलेख/पट्टा विलेख के निबंधन के समय, महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में, स्टाम्प शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति, निबन्धनकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस सम्बन्ध में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्टॉनिक्स विभाग का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी छूट प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा विहित अवधि के भीतर प्रयोजन की पूर्ति न करने अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने की प्रास्थिति की सूचना तत्काल स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को देगा। ऐसी दशा में, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग बैंक प्रत्याभूति को भुना कर विभाग के समुचित लेखाशीर्षक में धनराशि जमा करेगा;

परन्तु यह कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किये जाने पर कि सम्बन्धित डाटा सेन्टर पार्क/डाटा सेन्टर इकाई द्वारा नीति के अधीन शर्तों का समुचित रूप से अनुपालन कर दिया गया है, उपरोक्त बैंक प्रत्याभूति को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अवमुक्त कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

ह0/-
(वीना कुमारी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः- 11/2021/1152/94-स्टा0नि0-2-2021-700(33)/2021 दिनांकः 29 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक- नवम्बर, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

(अजय कुमार अवस्थी)
विशेष सचिव।

संख्याः- 11/2021/1152/94-स्टा0नि0-2-2021-700(33)/2021 दिनांकः 29 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग/औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4- महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।

5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

6- समस्त अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0), पदेन जिला निबंधक, उ0प्र0।

7- समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।

8- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन/जनपदीय उपायुक्त उद्योग, उ0प्र0।

9- विधायी अनुभाग-1

10- भाषा अनुभाग-5

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार अवस्थी)
विशेष सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no. 11/2021/1152/94-S.R.-2-2021-700(33)/2021 dated, 29 November, 2021:

ORDER
Notification

No. 11/2021/1152/94-S.R.-2-2021-700(33)/2021
Lucknow: Dated 29 November, 2021

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty to the extent shown in Column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instrument as shown in Column-4 of the said Schedule for the purpose as mentioned in Column-2 of the said Schedule as provided in paragraph 7.1 of the "Uttar Pradesh Data Center Policy, 2021"-

Schedule

Paragraph of the Scheme	Purpose and other detail	Extent of Remission	Nature of Instrument and Article number of Schedule 1-B
1	2	3	4
Paragraph 7.1 of the "Uttar Pradesh Data Center Policy, 2021"	i. On the purchase/ lease of land from Authority/Land Owner to Data Center Park. ii. On the purchase/ lease of land from Data Center Park to Data Center unit.	i. 100% ii. 50 %	Conveyance under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35.

2. This remittance shall be subject to the following conditions:-

a. District Magistrate or Deputy Commissioner Industries of the District shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the conveyance/ lease deed is being executed for the purposes above-mentioned, and

b. Irrevocable Bank guarantee of the amount equal to the remission of stamp duty in favour of Inspector General of Registration, Uttar Pradesh shall be presented before the Registering Officer at the time of registration of such conveyance deed /lease deed. In this regard, it shall be the liability of the I.T. and Electronics Department that it shall inform, the status of non-fulfillment of the purpose or non-commencement of commercial production within the prescribed period, by the Data Center Park/Data Center unit receiving such remission, to the Stamp and Registration Department, immediately. In such a condition, the Stamp and Registration Department shall deposit the amount in the proper account head of the department, by encasing the bank guarantee:

Provided that upon confirmation of the fact by the I.T. and Electronics Department that the conditions under the policy have been properly complied with by the concerned Data Center Park/Data Center unit, the Bank Guarantee shall be released by the Stamp and Registration Department.

By order

(Veena Kumari)
Pramukh Sachiv